की तारिख क्या है, एक समान है। पेंशन की गणना, सेवानिवृत्ति से पहले 10 महीनों में आहरित की गई औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के हिसाब से की जाती है।

(ग) यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्ति दिवंगत कर्मचारियों के कुटुम्ब पेंशनभोगियों को किसी अलाभकारी स्थिति में रख गया है। सभी मामलों में कुटुम्ब पेंशन की राशि को, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत, महंगाई राहत तथा अतिरिक्त राहत को मिलाकर 1.1.1986 से पूर्व ली जाने वाली कुटुम्ब पेंशन की राशि में समेकित करके बढना दिया गया है।

(घ) सरकार ने पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। यह आयोग वर्तमान पेंशन ढांचे तथा इससे सम्बद्ध मुददों पर विचार करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत करनी है।

**Commcerial Viability of the State electricity Boards**

1328. DR. D. VENKATESHWARA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Whether Government have asked the State Electricity Boards to become commercially viable;

(b) if so, whether Government had suggested that they should review the measures to meet the on-going power projects; and

(c) if so, what is the action programme undertaken by the State Electricity Boards in the power sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) Government of India has emphasised in its various communications to the State Governments the need for reforms/restructuring of the State Power Sectors. Besides encouraging the States to restructure their State Electricity Boards, the steps being taken to make the State Electricity Boards more viable include improving their genration reducing transmission and distribution losses. reducing establishment costs, promoting better management practices and project implementation capabilities.

(c) Diagnostic studies aimed at improving the physical and financial performance have been initiated in several States namely, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan Bihar, Andhra Pradesh and Karnataka. A new reform legislation namely, the Orissa Reform Act, 1995 has been enacted and made effective in the State of Orissa from 1-4-1996. A few other States are also considering taking similar steps.

**Creation of a Minister of Scams**

1329. SHRI GOVIND RAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering creation of a Minister of Scams keeping in view the increasing size and frequency of different kinds of scams in the country in the recent past; and

(b) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) An elaborate vigilance system already exists in the Ministries/Departments of the Government to check corruption at all levels of adminstration as the Secretary/Head of the Department is primarily responsible for the maintenance of purity/integrity in his organisation.

Besides, the comprehensive legislation and statutory provisions under various laws of the country such as IPC, Cr. Pc., FERA and Banking Regulations Act including Prevention of Corruption Act, 1988 have adequate and stringent provisions to punish those who are found guilty. There is, therefore, no proposal under consideration of the Government or need for creation of a post of Minister of Scams.

**स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को पेश आ रही समस्याएं**

1330. **श्री ओ॰पी॰ कोहली:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग करके विकास कार्य कराने में संसद सदस्यों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रमुख समस्याएं क्या-क्या हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने और उपर्युक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रायल के राज्य मंत्री (डा॰ योगेन्द्र के॰ अलघ): (क) और (ख) कतिपय सांसद, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में शिकायत करते आ रहे हैं। संसद सदस्यों की अधिकांश शिकायतें जिला प्रशासन की ओर से असहयोग तथा उनके द्वारा अनुशासित निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से संबंधित हैं।

(ग) जब कभी इस बारे में संसद सदस्य से पत्र प्राप्त होता है, तब संबंधित कलेक्टर/राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी जाती है और मामले को उनके साथ उठाया जाता है तथा आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। सांसदों द्वारा अनुशासित निर्माण कार्यों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए कलेक्टरों को सामान्य निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा सुझाए गए निर्माण कार्यों के ठोस एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कलेक्टरों के संदेह को दूर करने हेतु "स्थापित प्रक्रिया" तथा "इलैक्ट्रानिक्स परियोजनाएं" शब्द के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए गए। कुछ मामलों में विभाग के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों को शीघ्र निपटाने के दृष्टिकोण से स्थल पर ही जांच पड़ताल की।

**Delay in completion of MEGA Public sector Projects**

1331. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that completion of a large number of Mega Public Sector Projects have been pending for more than 5 years; and

(b) if so, details and reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION OF THE MINISTRY (YOGINDER ALAGH): (a) As on 31-3-1996 only three mega projects (costing Rs. 1000 crores and above) were lagging behind the time schedule for more than five years.

(b) The details and reasons for the delay of the three mega projects are given Annexure. [*See* Appendix 128, Annexure No. 37]

**गुजरात में सरहदी विकास बोर्ड की स्थापना किया जाना**

1332. श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले के विकास हेतु एक स्वायत्ताशासी सरहदी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य की पूर्व सरकार ने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय गृह मंत्री को प्रेषित कर दिया था; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगिन्द्र के॰ अलग): (क) गुजरात में कच्छ जिले के विकास के लिए स्वायत्तशासी सरहदी विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस संबंध में योजना आयोग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**Uniform Eligiblity service for section officers' examination**

1333. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the matter regarding provision of uniform eligibility service of four years for appearing in Limited departmental competitive examination for Section Officers' Grade has since been finalised;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) by when the matter would be finalised?